

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, भोपाल

वेबसाइट : www. http://gmcbbhopal.net

Phone Number – 0755 - 405000

क्रमांक..... 4411-25 / एम.सी./ एन.एच.एम. (6)/ 2022  
// आदेश //

भोपाल, दिनांक : 31 / 01 / 2022

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक/एन.एच.एम./एच.आर /सेल -01 /2022/216 भोपाल, दिनांक 10-01-2022 एवं आयुक्त चिकित्सा शिक्षा के टीप पत्र क्रमांक 706/दिनांक 24-12-2021 पत्रों के संदर्भ में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल को कोविड-19 महामारी ऑमिक्रॉन वेरियंट के रोकथाम हेतु अतिरिक्त अस्थाई मानव संसाधन को दिनांक 01-01-2022 से 60 दिवस (02 माह) तक रखने की अनुमति प्रदान की है। स्वीकृत रिक्त पदों के लिये विज्ञप्ति क्रमांक 381/अधि./एन.एच.एम.(06)/भोपाल, दिनांक 21-01-2022 के वॉक इन इन्टरव्यू दिनांक 25-01-2022 को गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में कर निम्नलिखित का चयन तालिका के साथ अंकित निश्चित मानदेय राशि एवं सेवा शर्तों पर नियुक्ति दिनांक से दिनांक 01-03-2022 तक किया जाता है।

1. अन्य स्वास्थ्य कर्मी सफाई कर्मी (निश्चित मानदेय रु. 7950/-)

क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	पदस्थापना स्थल
1.	रावेन्द्र कुमार अहिरवार	हरीराम अहिरवार	अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय
2.	प्रदीप सोलंकी	धन्ना सोलंकी	अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय
3.	मांगी लाल पेंवार	हरनाथ सिंह पेंवार	अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय
4.	रामराज यादव	विजय यादव	अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय
5.	नरेश मालवीय	बाबूलाल	अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय
6.	रेखा देवी	गेन्दा लाल	अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय

सेवा शर्त :-

- उक्त पदों के नियंत्रणकर्ता अधिकारी अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल है।
- यह सेवा पूर्णतः अस्थायी होगी एवं आकस्मिक सेवाओं के रूप में नियुक्ति दिनांक से 01-03-2022 तक के लिये ली जा रही है। अतः निर्धारित अवधि के पश्चात् आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। तत्पश्चात् बिना आदेश प्राप्त किये निरंतर कार्य पर बने रहने पर अभ्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी तरह के मानदेय के लिये प्राप्त नहीं होगा।
- इन सेवाओं को नियमित अथवा संविदा सेवा के लिये किसी भी दशा में मान्य नहीं किया जायेगा।
- अनुबंध निष्पादन करने वाला व्यय संबन्धित सेवा प्रदत्ता द्वारा वहन किया जायेगा।
- पत्र जारी होने के 02 दिवस में अनुबंध निष्पादन न करने एवं अधिष्ठाता कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करने पर नियुक्ति किसी भी स्थिति में मान्य नहीं की जायेगी जिसकी जिम्मेदारी अनुबंध कर्ता की होगी।

6. किसी भी तरह की असत्य जानकारी अनुशासनहीनता और कार्यस्थल की गोपनीयता भंग करने पर या अपराधिक गतिविधि में लिप्त पाये जाने पर कानूनी कार्यवाही एवं अनुबंध निरस्त किया जा सकता है।
7. कोविड-19 संक्रमण के प्रबंधन हेतु अतिरिक्त अस्थायी नियुक्ति को आदेशानुसार किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।

*Handwritten signature and date: 31/10/2022*

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, भोपाल

क्रमांक...../एम.सी./एन.एच.एम. (6)/2022 भोपाल, दिनांक : ...../...../2022

प्रतिलिपि एवं सूचनार्थ प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल म.प्र. ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा भोपाल, म.प्र. ।
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा सतपुडा भवन भोपाल, म.प्र. ।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल, मध्यप्रदेश।
5. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल, मध्यप्रदेश आपके सन्दर्भित पत्र के संदर्भ में।
6. संभागायुक्त, भोपाल संभाग भोपाल ।
7. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक , हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल।
8. अपर संचालक आई.डी.एस.पी. संचलानलय स्वास्थ्य सेवारे भोपाल, म.प्र. ।
9. उप संचालक मानव संसाधन लीगल, एन.एच.एम. भोपाल, म.प्र. ।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल, म.प्र. ।
11. संबंधित कर्मचारी .....की ओर पालनार्थ।
12. आदेश नस्ती।

॥  
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, भोपाल